SA.11

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कानपुर २०८००२ उ० प्र०, भारत

सेवा मे

1–	**कुलपति** चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर	अध्यक्ष
2–	**प्रमुख सचिव, वित्त,** उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ	सदस्य
3–	**सचिव, उच्च शिक्षा,** उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ	सदस्य
4–	**सचिव, कृषि,** उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ	सदस्य
5–	**निदेशक, पशुपालन,** उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
6–	**निदेशक, कृषि** उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
7–	**डा0 आर0सी0महेश्वरी**, सहायक महानिदेशक,(सीएससी) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
8–	**श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव**, विधायक बी–231,फेज–1,टिकैतराय आवासीय, एल0डी0ए0 कालोनी, मोहन रोड, लखनऊ	सदस्य
9–	**श्री बाल चन्द्र मिश्र**, विधायक, 185, मध्यम आय वर्ग, केशव नगर,डबलू ब्लाक, जुही, कानपुर	सदस्य
10–	**श्री अमर सिंह,** ग्र0– व पोस्ट–फतेहपुरा, जनपद–इटावा	सदस्य
11–	**श्रीमती मुन्नी राजपूत** पत्नी श्री अखिलेश सिंह राजपूत ग्राम–खरौली, पो0–छिवरामऊ, जनपद कन्नौज	सदस्य
12–	**श्री अशोक दुबे**, सदस्य विधान परिषद, अशोक नगर, इटावा	सदस्य
13–	**डा0 हरि कृष्ण सक्सेना,** 2ए/408 आजाद नगर, कानपुर	सदस्य
14–	**श्री पुर्षोत्तम लाल तोशनीवाल**, महामंत्री गौशाला भवन, 55/112 जनरल गंज कानपुर	सदस्य

संख्या–सीएसयूपी/सी– 116-29 /बोर्ड–112/2000 दिनांक सितम्बर 11, 2000

महोदय,

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की **सितम्बर 07, 2000** को कुलपति महोदय के सभाकक्ष में आयोजित **112वीं बैठक की कार्यवाही** आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

(जगदेव प्रसाद)
अर्थनियंत्रक एवंसचिव, **प्रबन्ध मण्डल**

दूरभाषः 0512-294641-45, 294661-63 फैक्सः 0512-210408 केबिलः एग्रीवर्सिटी ई–मेलः csauknp@hotmail.Com

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रबन्ध मण्डल की 112वीं बैठक की कार्यवाही:

स्थान: कुलपति सभाकक्ष

दिनांक: 07 सितम्बर , 2000.

समय: पूर्वान्ह 11.00 बजे

उपस्थिति:

1.	डा0 एस0 बी0 सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री चन्नर राम, विशेष सचिव, कृषि	कृषि सचिव के प्रतिनिधि
3.	श्री बाल चन्द्र मिश्र, विधायक	सदस्य
4.	श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, विधायक	सदस्य
5.	श्री अशोक दुबे, सदस्य विधान परिषद	सदस्य
6.	डा0 हरि कृष्ण सक्सेना,	सदस्य
7.	श्रीमती मुन्नी राजपूत	सदस्य
8.	श्री अन्नर सिंह	सदस्य
9.	श्री पुरुषोत्तम लाल तोशनीवाल	सचिव
10.	श्री जगदेव प्रसाद, अर्थनियंत्रक	

बैठक के प्रारम्भ में अर्थनियंत्रक एवं सचिव ने प्रबन्ध मण्डल के उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा नवनियुक्ति सदस्यों का परिचय कराया। कुलपति एवं अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का प्रबन्ध मण्डल की आपनी प्रथम बैठक में स्वागत किया तथा कृषि निदेशक, पशुपालन निदेशक, सचिव वित्त, सचिव उच्च शिक्षा के प्रबन्ध मण्डल की महत्वपूर्ण बैठक में सम्मिलित न होने को गम्भीरता से लिया तथा असंतोष व्यक्त किया ॥ शासन के सदस्यों के बैठक में सम्मिलित न होने के कारण प्रस्तावों पर परस्पर प्रकिया विचार विमार्श तथा सुझाव प्राप्त नहीं हो पाता है जबकि शासन के सदस्यों का विश्वविद्यालय के कार्यकलापों एवं निर्णयों पर सक्रिय एवं बहुमूल्य योगदान अपेक्षित है । अध्यक्ष महोदय ने अपने सम्बोधन में विश्वविद्यालय को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों से सहयोग का अनुरोध किया ।

मद सं. 1 प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 28.1.2000 को सम्पन्न हुयी 110 वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन

प्रबन्ध मण्डल ने 110 वीं बैठक दिनांक 28.1.2000 की कार्यवाही का अनुमोदन किया । साथ ही 111वीं बैठक दिनांक 12.6.2000, जिसमें चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को संस्तुत करने के लिए गठित की जाने वाली समिति में प्रबन्ध मण्डल का प्रतिनिधि नामित करने के प्रस्ताव पर निर्णय किया गया था, की पुष्टि भी की गयी ।

मद सं0 2 प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 28.1.2000 को सम्पन्न हुयी 110वीं बैठक में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही ।

प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 28.1.2000 को सम्पन्न हुयी 110वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही प्रस्तुत की गई और निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा हुई और निर्देश दिये गये :

मद सं0
2.10(पूरक–3) प्रबन्ध मण्डल ने यह संज्ञान में लिया कि डा0 मोती सिंह, प्रोफेसर, उद्यान विज्ञान विभाग की सम्बद्धता समाप्त करने के सम्बन्ध में जो आदेश निर्गत किया गया है उसकी प्रतिलिपि में इंगित किया गया है कि डा0 मोती सिंह को विभागाध्यक्ष नही बनाया जा सकता है, यह निर्णय के विपरीत है। इस विषय में अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि इस बिन्दु पर विचारकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

मद सं0
2.4 13 शिक्षकों/वैज्ञानिकों की सेवाओं में निरंतरता के संबंध में विधिकराय से असहमति व्यक्त करते हुये 108वीं बैठक दिनांक 8.12.98 में लिये गये निर्णय कि बैठक में अनुमोदन के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही सेवा मानी जायेगी, पर ऐसे शिक्षकों से प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक 4.4.2000 पर चर्चा हुयी । मुख्य कार्मिक अधिकारी से इस विषय पर जानकारी प्राप्त की गई तथा निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध मण्डल द्वारा 108वीं बैठक में लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन किया जाय तथा प्राप्त प्रत्यावेदन पर प्रशासन अलग से विचार कर कुलपति महोदय के समक्ष आख्या एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगा।

मद सं0 11 प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा सम्बद्धता समाप्त करते हुये संबंधित शिक्षकों/वैज्ञानिकों को मूल पद पर पदास्थापित कर दिया जाय । उनका वेतन स्थानांतरित स्थानों से आहरित होगा । यदि विभागाध्यक्ष संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं करते हैं तो संबंधित विभागाध्यक्ष का वेतन रोक दिया जाय – के निर्देश पर कोई कार्यवाही न किये जाने की तरफ अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकृष्ट किया गया। इस विषय में अध्यक्ष महोदय ने कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए।

बैठक के अन्त में प्रबन्ध मण्डल द्वारा दिये गये अन्य निर्देश

1. श्री टी0सी0 मिश्र, शोध अभियन्ता को कृषि इंजीनियरिंग कालेज, इटावा में ही नियुक्त किया जाय श्री टी0सी0 मिश्र इटावा में ही रहेंगे । कुलपति की पूर्व अनुमति पर ही इटावा से बाहर जायेंगें । इस निर्णय के अनुपालन में प्रशासनिक आदेश दिनांक 2.2.2000 को जारी कर दिया गया था, किन्तु श्री टी0सी0 मिश्र ने पूर्व की भॉति परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया । उन्होंने इटावा में कार्यभार ग्रहण नहीं किया और आदेश पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखते रहे । इस विषय पर चर्चा हुयी । विचारोपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि श्री टी0सी0 मिश्र इटावा में शीघ्र कार्यभार ग्रहण करें । चूँकि अधिष्ठाता नियुक्त एवं कार्यरत हैं अतः कृषि इंजीनियरिंग महाविद्यालय में निर्माण कार्य समाप्त होने के बाद परियोजना अधिकारी को रक्खे जाने की बात समाप्त हो गयी है। अतः यह निर्णय लिया गया कि श्री मिश्र इटावा परिसर में स्थित एडवासड रिसर्च एवं ट्रेनिंग सेन्टर के कार्यो को कुलपति महोदय के निर्देशानुसार सम्पादित करेंगें और इस सम्बन्ध में निर्देश निर्गत कर दिये जायें ।

2. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के संबंध में श्रमायुक्त कानपुर से मांगी गई राय, जो अभी तक नहीं प्राप्त हुई है, पर चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय स्तर पर ही इस विषय में कार्यवाही की जाय ।

3. विभागवार/अनुभागवार कार्य की त्रैमासिक प्रगति की आख्या प्राप्त कर प्रबन्ध मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय पर डा0 महेश पाल, निदेशक, कृषि अनुसंधान केन्द्र द्वारा प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को उपलब्ध करा दी गई ।

5. विश्वविद्यालय के बीज एवं प्रक्षेत्र के गत 5 वर्षो का विस्तृत विवरण तथा वस्तुस्थिति डा0 चन्द्रभान, निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र द्वारा सदस्यों को उपलब्ध करा दी गई है। अगली बैठक में इस पर चर्चा की जायेगी ।

6. कृषि विश्वविद्यालय कानपुर एवं मथुरा की डेयरियों, पोल्ट्री फार्म की सोचनीय स्थिति, आय एवं व्यय तथा प्रबन्धन आदि पर जांच हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समयबद्ध समिति बना दी जाय तथा जांच रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय । इस निर्णय को प्रबन्ध मण्डल ने संज्ञान में लिया कि उ0प्र0 शासन ने बीज एवं डेयरी की जांच करने हेतु महानिदेशक, उपकार को जांच अधिकारी नियुक्त किया है, जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । विश्वविद्यालय द्वारा महानिदेशक उपकार से जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि कार्यवाही हेतु प्रेषित करने के लिए पत्र संख्या–सीएसयूएच–886/2000 दिनांक 6 सितम्बर, 2000 द्वारा अनुरोध किया गया है । विगत दो माह में वर्तमान कुलपति के कार्यभार ग्रहण करने के बाद डेयरियां के दूध उत्पादन में हुयी वृद्धि पर प्रबन्ध मण्डल ने सराहना की ।

7. श्रीमती रंजना सिंह, डा0 चन्द्रभान, निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र) की पुत्री के लगभग 10 वर्ष से दिल्ली में रहने पर बिना कार्यवेतन भुगतान पर निवर्तमान कुलपति डा0 रामनाथ द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट से प्रबन्ध मण्डल ने असहमति व्यक्त की । यह पाया गया कि जांच रिपोर्ट अपूर्ण एवं अस्पष्ट है । अतः निर्णय लिया गया कि इसकी पुनः जांच कराकर जांच रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय । जांच निम्नलिखित बिन्दुओं पर की जाय :

1. श्रीमती रंजना सिंह की नियुक्ति किस पद पर तथा कब हुई थी ?
2. अवकाश की प्रकृत्ति एवं अवधि, अवकाश पर जाने एवं अवकाश समाप्ति के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथियां । अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी का नाम ।
3. देय अवकाश/अवकाशों का विवरण/लेखा
4. वेतन/ अवकाश वेतनके भुगतान का विस्तृत विवरण
5. क्या श्रीमती रंजना सिंह अभी भी कार्यरत कर्मचारियों की सूची में है?

110 बी बैठक में लिये गये निर्णयों की कृत कार्यवाही की सूची, प्रबन्ध मण्डल की 112वीं बैठक में प्रस्तुत की गई । अध्यक्ष महोदय के अनुरोध पर उन बिन्दुओं पर विशेष चर्चा हुई जिन पर माननीय सदस्यगण विस्तृत विचार विमर्श करना चाहते थे । ऐसे बिन्दुओं पर हुई चर्चा तथा उन पर लिये गये निर्णयों/निर्देशों का उल्लेख उपरोक्त में दिया गया । अन्य कृत कार्यवाही का प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन किया ।

मद सं0 3. अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव

शासनादेश संख्या–सा–4–392/10–99–703–86 दिनांक 1 जुलाई, 1999 द्वारा राजकीय अधिकारियों /कर्मचारियों के अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा 240 दिन के स्थान पर 300 दिवस करने की भांति विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा 300 दिवस करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया और सैद्धान्तिक रूप से इसे स्वीकृत किया गया। लेकिन इस प्रकरण को शासन को संदर्भित भी कर दिया जाय ताकि कृषि विभाग के अनुभाग–8 से आदेश निर्गत हो सकें । यदि अगली बैठक तक शासन से निर्णय प्राप्त नहीं होता है तो प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय,प्रभावी होगा।

मद सं0 4 परिनियम के अध्याय–14 की धारा 28 (एफ) 2 में गृह विज्ञान एवं पी0एच0डी0 डिग्री के प्राविधान पर विचार ।

विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 11–2–2000 में प्रस्ताव संख्या–1265 द्वारा परिनियम के अध्याय–14 की धारा 28(एफ) 2 में गृह विज्ञान में मास्टर डिग्री एवं पी0एच0डी0 डिग्री जोड़ने के निर्णय का प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन किया ।

मद सं0 5 Revision/Amendment of Provision under chapter XXI Section 28(r) 6

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा निर्देश दिया कि परिनियम में अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार परिवर्तन हेतु कुलाधिपति महोदय को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जाय ।

मद सं0 6 स्व0 अक्षयवर सिंह की स्मृति में डा0 एच0जी0सिंह पूर्व कुलपति पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर पर प्लांट ब्रीडिंग एवं जेनेटिक्स में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र को स्वर्ण पदक प्रदान करने पर विचार ।

डा0 एच0जी0 सिंह पूर्व कुलपति द्वारा स्व0 अक्षयवर सिंह की स्मृति में रुपये 10000/– जमा करने तथा इस पर अर्जित ब्याज से स्नातक स्तर पर प्लांट ब्रीडिंग एवं जेनिटिक्स में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र को स्वर्ण पदक दिये जाने के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव का प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया कि स्वर्ण पदक निर्माण में होने वाले व्यय को अगणित कर लिया जाय और अर्जित ब्याज की धनराशि कम पड़ने पर और आवश्यक धनराशि जमा किये जाने पर ही इसे लागू किया जाय । प्रबन्ध मण्डल ने डा0 एच0जी0 सिंह द्वारा किये गये उपरोक्त योगदान की सराहना की ।

मद सं0 7 शोध सलाहकार समिति के विस्तार एवं निदेशक कृषि अनुसंधान केन्द्र के पदनाम को निदेशक, शोध परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया और शोध सलाहकार समिति में :

1.	कुलपति	अध्यक्ष
2.	निदेशक, शोध	सचिव
3.	सभी महाविद्यालयों के अधिष्ठाता	सदस्य
4.	निदेशक, प्रसार	सदस्य
5.	अर्थ नियंत्रक	सदस्य के अतिरिक्त
6.	दो समन्वयक/परियोजना प्रभारी अधिकारी कृषि महाविद्यालय दो समन्वयक/परियोजना प्रभारी अधिकारी पशुचिकित्सा महाविद्यालय एवं एक समन्वयक/परियोजना प्रभारी गृह विज्ञान महाविद्यालय/अभियंत्रण महाविद्यालय	सदस्य सदस्य

सदस्य सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि निर्णयानुसार परिनियमों में संशोधन किये जाने हेतु कुलाधिपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त की जाय ।

मद सं0 8 गृह विज्ञान विभाग चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में कन्टैक्चुअल आधार पर शिक्षिकाओं से शिक्षण कार्य सम्पन्न कराने संबंधी प्रस्ताव ।

सम्यक विचारोपरान्त नियत वेतन रुपये 3200/– प्रतिमाह पर शिक्षिकाओं की नियमित नियुक्ति होने तक कन्टैक्चुअल आधार पर शिक्षण कार्य कराये जाने के प्रस्ताव का प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन प्रदान किया ।

मद सं0 9 चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में चल रही आहरण एवं वितरण की प्रकिया एवं प्रतिनिधायन पर विचार ।

सम्यक विचारोपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया । इस निर्णय के अनुसार शिक्षण, शोध एवं प्रसार के आहरण एवं वितरण अधिकारी अब केवल संबंधित अधिष्ठाता/निदेशक होगें । इस निर्णय के उपरान्त अन्य अधिकारी जो अभी तक आहरण एवं वितरण का कार्य करते थे, वे अब इस कार्य से मुक्त हो जायेगें। शोध परियोजनाओं (बाह्य संस्थाओं जैसे आई0सी0ए0आर0, एन0ए0टी0पी0, यू0पी0सी0ए0आर0, विश्वबैक इत्यादि द्वारा वित्त पोषित) के आहरण एवं वितरण का कार्य परियोजनाओं के प्रिंसपल इन्वेस्टीगेटर करेंगे । अधिष्ठाता/निदेशक को आवश्यक स्टाफ उपलब्ध कराये जाने का भी निर्णय लिया गया । विभागाध्यक्षों को समुचित इम्प्रेस्ट धनराशि उपलब्ध करायी जायगी जिससे दिन–प्रतिदिन के अपरिहार्य एवं आवश्यक कार्य निर्वाधित सम्पन्न हो सकें इसकी व्यवस्था प्रस्तुत प्रस्ताव में दी गई है।

मद सं0 10 चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में कय सम्बन्धी प्रकिया के निर्धारण तथ वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के प्रस्ताव पर विचार

प्रबन्ध मण्डल ने सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया।

मद सं0 11 चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के इटावा में स्थित डा0भीम राव अम्बेडकर कृषि इंजीनियरिंग कालेज के प्रांगण में विद्युत उप केन्द्र स्थापित करने हेतु 30 x 40 वर्गमीटर जमीन उप महाप्रबन्धक, विद्युत वितरण मण्डल, इटावा को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

मद सं0 12 चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में अधिष्ठाताओं तथा निदेशकों को विशेष वेतन अथवा निःशुल्क आवास दिये जाने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अधिष्ठाताओं/निदेशकों को निःशुल्क आवास प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इन्हें किरायें पर मकान लेकर निःशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध नही करायी जायेगी केवल विश्वविद्यालय के आवास ही निःशुल्क दिए जायेगें।

मद सं0 13 चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के शिक्षकों को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु के बाद सत्रांत 30 जून तक की सेवा अवधि को पेंशन गणना हेतु अर्हकारी सेवा माने जाने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया। अधिवर्षता आयु के बाद की सेवा, सेवा विस्तारण नही है। अतः यह प्रस्ताव स्वीकार योग्य नही है।

मद सं0 14 प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों को उनके प्रबन्ध मण्डल की सदस्याता अवधि पूर्ण होने एवं प्रबन्ध मण्डल की बैठकों में सक्रिय योगदान के लिये धन्यवाद प्रस्ताव।

डा0 अजय कुमार अवस्थी का कार्यकाल फरवरी 2000, बाबा रामनाथ यादव का कार्यकाल 5 मई, 2000 श्री इन्द्रजीत सरोज का कार्यकाल 18 मई, 2000 तथा डा0 एच0 जी0 सिंह का कार्यकाल 3 अगस्त, 2000 को समाप्त हुआ। प्रबन्ध मण्डल ने चारो माननीय सदस्यों के प्रबन्ध मण्डल की बैठकों में उनके सक्रिय योगदान एवं बहुमूल्य सुझावों के लिये कार्यकाल पूरा होने पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया ।

मद सं0 15 शासन स्तर पर विश्वविद्यालय के लम्बित प्रकरणों की सूची प्रस्तुत करते हुये प्रबन्ध मण्डल से दिशा निर्देशों का प्रस्ताव।

शासन स्तर पर विश्वविद्यालय के लम्बित प्रकरणों की प्रस्तुत सूची को संज्ञान में लेते हुये विशेष सचिव कृषि ने इन लम्बित प्रकरणों पर शासन स्तर पर यथाशीघ्र निर्णय लेकर विश्वविद्यालय को सूचित करने का आश्वासन दिया।

मद सं0 16 शोध परियोजनाओं के वैज्ञानिक तथा परामर्शदाताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार।

यह प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत नहीं हो सका। अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।